

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 202/2021

वादीगण-

1. रामरतन पुत्र पुखराज
2. सरिता पुत्री पुखराज ,
जातियान-जाट, निवासीगण-कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. पुखराज पुत्र चूनाराम
जाति-जाट, निवासी-कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. श्री दशरथ सिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 08/10/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बड़े की पुस्तैनी भूमि मौजा कमेड़िया तहसील जायल में खेत खसरा नंबर 667/228 रकबा 1.5783 हैक्टेयर, खसरा नंबर 288/1 रकबा 4.2087 हैक्टेयर कुल 2 खसरे कुल रकबा 5.7870 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ख) के अनुसार कर सिंव-नींव अलग-अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी रामरतन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 667/228 रकबा 1.5783 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 पुखराज एवं सरिता के शामिलती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 288/1 रकबा 4.2087 हैक्टेयर रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 08.10.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर ईकवाली

AGL
08/10/2021
सहायक कलेक्टर
(एड.डी.ओ.) जायल

जबाब पेश किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने की। ईकवाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकवाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक विन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह सरिता पुत्री पुखाराज, रामरतन पुत्र पुखाराज के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम कमेड़िया तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 205, 206 प्रदर्श-1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकवाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकवाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकवाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकवाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकवाली जबाब दिनांक 08.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकवाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकवाली जबाब दिनांक 08.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

for
सहायक क्लर्क
(ए.डी.ओ.) जायल


प्रकरण हाजा में मौजा कमेड़िया के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 667/288, 288/1 की भूमि का माफिक सहमति ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है। अतः मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 667/288, 288/1 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित कर पक्षकारान के द्वारा खेताय विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 667/288, 288/1 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामरतन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 667/288²⁸⁸ रकबा 1.5783 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 पुखराज एवं सरिता के शामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 288/1 रकबा 4.2087 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार) सरे
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्लदाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 202/2021

वादीगण-

1. रामरतन पुत्र पुखराज
2. सरिता पुत्री पुखराज , जातियान-जाट, निवासीगण-कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. पुखराज पुत्र चूनाराम
जाति-जाट, निवासी-कमेड़िया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. श्री दशरथ सिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 667/288, 288/1 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामरतन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 667/288 रकबा 1.5783 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 पुखराज एवं सरिता के शामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 288/1 रकबा 4.2087 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-नागौर

राजस्व वाद 202/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
रामरतन वगैरह बनाम् पुरखराज

तीज - मुबलिंग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना
आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर
अदालत के आज तारीख 08/10/2021 को जारी की गई।

| मुदायराह | रुपया | पैसे | मुदायराह | रुपया | पैसे |
|-----------------------|-------|------|-----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलवाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नाट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया
गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर (रुग्ण उपखण्ड) अधिकारी
जायल (नागौर)